कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा छत्तीसगढ़

स्वास्थ्य भवन, द्वितीय तल, नार्थ–ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग. 492002

क्रमांक / 1746 /छात्र / काउंसिलिंग / संचिशि / 2026 रायपुर, दिनांक 31/10/2026

// प्रवेश वर्ष 2026 छत्तीसगढ़ राज्य के चिकित्सा स्नातकोत्तर (MD/MS) पाठ्यक्रम की राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु प्रथम कॉउंसिलिंग आवंटन सूचना //

आज दिनांक 31.10.2026 को छत्तीसगढ़ के राज्य कोटे की चिकित्सा स्नातकोत्तर सीटों **(MD/MS)**की प्रथम चरण काउंसिलिंग के लिए आवंटन सूची जारी की गई है, इसके तहत स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया निम्न समय–सारणी के अनुसार आयोजित की जाएगी : –

स्क्रूटनी एवं प्रवेश हेतु समय–सारणी :–

क्र.	प्रक्रिया का विवरण	दिनांक एवं समय
1	**स्क्रुटनी प्रारंभ एवं अंतिम तिथि (Physical Mode/Offline Mode)**	**दिनांक 02 नवम्बर 2026, समय** Server Time 10:00 Hrs (10:00 AM) से **दिनांक 06 नवम्बर 2026, समय** Server Time 14:00 Hrs (2:00 PM) तक एवं **दिनांक 10 नवम्बर 2026, समय** Server Time 10:00 Hrs (10:00 AM) से **दिनांक 11 नवम्बर 2026, समय** Server Time 16:00 Hrs (4:00 PM) तक
2	**प्रवेश की प्रारंभ एवं अंतिम तिथि (Physical Mode/Offline Mode)**	**दिनांक 02 नवम्बर 2026, समय** Server Time 10:00 Hrs (10:00 AM) से **दिनांक 06 नवम्बर 2026, समय** Server Time 15:00 Hrs (3:00 PM) तक एवं **दिनांक 10 नवम्बर 2026, समय** Server Time 10:00 Hrs (10:00 AM) से **दिनांक 11 नवम्बर 2026, समय** Server Time 17:00 Hrs (5:00 PM) तक

सभी आवंटित अभ्यर्थी ***छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम एवं विवरणिका 2025*** का अध्ययन कर ही, स्क्रूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करें। आबंटन उपरांत ***नियमानुसार उचित प्रक्रिया के अभाव में अभ्यर्थी अपात्र हो सकते है।***

महत्वपूर्ण निर्देश :–

छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर विवरणिका वर्ष 2025 के बिन्दु **2.6 के अनुसार** काउंसिलिंग की प्रक्रिया चार चरणों में ऑनलाईन रूप से की जाएगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि से पूर्व यदि सीटें रिक्त रह जाती है तो काउंसिलिंग के चरणों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। सभी चरणों की काउंसिलिंग ऑनलाईन रूप से की जाएगी। प्रत्येक चरण में पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध रहेगी। **प्रत्येक चरण में आवंटित अभ्यर्थी को पात्रता संबंधी दस्तावेजों की संवीक्षा करवाना अनिवार्य होगा। संवीक्षा में अपात्र पाये जाने या अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग से स्वतः ही बाहर हो जायेगा।**

क्रमशः––2––

काउंसिलिंग या आवंटन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी विषय एवं संस्था की सीट अभ्यर्थी को एक बार आवंटन होने के पश्चात् पुनः उसी संस्था में समान विषय की सीट आवंटित नहीं की जायेगी।

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों –*सभी संबंधित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के आवंटित अभ्यर्थियों की स्कूटनी एवं प्रवेश प्रक्रिया आवंटित संस्था में सम्पन्न की जावेगी।*

निजी चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु स्कूटनी सेंटर

क्र0	निजी संस्था का नाम	शासकीय संस्था (जहॉ पर स्कूटनी एवं प्रवेश प्रकिया किया जाना है)
01	i) श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइसेस रायपुर ii) रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, रायपुर iii) श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंसेस, जुनवानी भिलाई	*शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान भवन,पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालयछत्तीसगढ़, उपरवारा नवारायपुर (छ.ग.)*

संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय तदनुसार स्कूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।

नोट :–

1. आगामी काउंसिलिंग, आबंटन एवं अन्य जानकारी हेतु वेबसाईट***www.cgdme.in***एवं ***https://cgdme.admissions. nic.in/*** का नियमित अवलोकन करें।
2. सभी शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीटों का आवंटन कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, छत्तीसगढ़ द्वारा गठित काउंसिलिंग समिति द्वारा नियमानुसार ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से किया जाता है, अतः किसी व्यक्ति/संस्था के प्रवेश दिलवाने संबंधित धोखे में नहीं फंसे।
3. छत्तीसगढ़ चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेश नियम एवं विवरणिका, 2025 का अवलोकन कर ही, स्कूटनी एवं प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करें, ताकि प्रवेश संबंधी जटिलताओं से सुरक्षित रहें।

(आयुक्त चिकित्सा शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

31/10/26
अध्यक्ष,
चिकित्सा स्नातकोत्तर काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.

पृ. क्रमांक/1747/छात्र/काउंसिलिंग/संचिशि/2026 रायपुर, दिनांक 30/10/2026

प्रतिलिपि :–

1. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान और आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, उपरवारा नवा रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता, शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय छ0ग0 की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु ई–मेल से प्रेषित।

संबंधित निजी चिकित्सा महाविद्यालय तदनुसार स्कूटनी स्थल पर अपने अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियो की व्यवस्था कर, प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण करायें।

31/10/26
अध्यक्ष,
चिकित्सा स्नातकोत्तर काउंसिलिंग समिति,
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, छ.ग.